



Neutral Citation No.- 2026:AHC:19016

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-10692 वर्ष 2024

कपिल गुर्जर उर्फ अजय आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: शांतनु

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: आनंद कुमार, शासकीय अधिवक्ता, रेणु चौकल

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री शाहरुख, सुश्री नंदनी, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री आनंद कुमार के साथ-साथ राज्य के लिए श्री वीकेएस परमार, अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक केस अपराध संख्या-119 वर्ष 2022, धारा 147, 148, 149, 302 भ०द०वि०, थाना-सिंभवली, जिला: हापुड के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगता है।

अभियोजन की कहानी:

4. बताया जाता है कि आवेदक ने चार अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ सूचनाकर्ता के बेटे पर उनके पास ले जा रहे आग्नेयास्त्र हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी की थी और 29.3.2022 को रात लगभग 08:00 बजे उसकी हत्या कर दी थी।

आवेदक की ओर से तर्क:

5. आवेदक ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है और उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। प्राथमिकी में लगभग आठ घंटे की देरी हुई है और उक्त देरी के कारण कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. प्राथमिकी में आवेदक सहित सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सामान्य और सर्वव्यापी आरोप हैं, लेकिन बाद में जांच के दौरान विवेचनाधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि आवेदक एकमात्र व्यक्ति था जिसने मृत व्यक्ति पर गोली चलाई थी। इस प्रकार, अन्य आरोपी व्यक्तियों को आवेदक की भूमिका को अलग करते हुए ज़मानत पर बढ़ा दिया गया था।

7. इसके बाद, उसी सूचनाकर्ता का बयान विचारण न्यायालय में अ०सा०-1 के रूप में दर्ज किया गया था और उसने प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को दोहराया है, जिसके तहत उसने सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सामान्य और सर्वव्यापी आरोपों को खारिज कर दिया था।

8. मुकदमे के दौरान, सूचनाकर्ता ने आवेदक की भूमिका को अलग नहीं किया है, बल्कि जिरह के दौरान आवेदक की विशिष्ट भूमिका के प्रश्न पर विचार किए जाने पर, उसने आवेदक को एकमात्र व्यक्ति बताने का उक्त बयान देने से इनकार कर दिया है, जिसने मृतक व्यक्ति पर गोली चलाई थी।

9. आवेदक 2.4.2022 से जेल में बंद है, इस प्रकार, कारावास की अवधि 03 वर्ष 08 महीने निकलती है।

10. मुकदमा घोंघे की गति से आगे बढ़ रहा है और निकट भविष्य में मुकदमे के समापन की कोई संभावना नहीं है क्योंकि आज तक केवल तीन गवाहों की जांच की गई है। इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित आवेदक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

11. आवेदक को सौंपे गए ग्यारह मामलों के आपराधिक इतिहास को समझाया गया है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

राज्य/प्रतिपक्षी की ओर से तर्क:

12. ज़मानत आवेदन का विरोध किया गया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों पर विवाद नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2020 (11)**

एस.सी.सी. 648 में कहा है कि एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना ज़मानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, यदि अन्यथा उसका ज़मानत का मामला बन जाता है।

14. **जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2024 आई.एन.एस.सी. 645** में आरोपी को ज़मानत देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

7. पक्षकारों की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों पर मौजूद सामग्रियों को देखने के बाद, हम निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करने के इच्छुक हैं:

(i) अपीलकर्ता पिछले चार वर्षों से विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में है;

(ii) आज की तारीख तक, विचारण न्यायालय आरोप तय करने के लिए भी कार्यवाही नहीं कर पाया है; तथा

(iii) जैसा कि राज्य और एनआईए की ओर से पेश अधिवक्ता ने बताया है, अभियोजन पक्ष कम से कम अस्सी गवाहों से पूछताछ करने का इरादा रखता है।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें आश्चर्य है कि किस अवधि तक, परीक्षण अंततः समाप्त हो जाएगा। अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, एक अभियुक्त को भारत के संविधान के तहत निहित त्वरित सुनवाई का अधिकार है।

9. समय के साथ, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय कानून के एक बहुत अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत को भूल गए हैं कि ज़मानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए।

10. उपरोक्त संदर्भ में, हम विचारण अदालतों और उच्च न्यायालयों को याद दिला सकते हैं कि इस न्यायालय द्वारा **गुडिकांति नरसिम्हुलु और अन्य बनाम लोक अभियोजक, उच्च न्यायालय द्वारा (1978) 1 एस.सी.सी. 240** में रिपोर्ट की गई थी। हम उद्धृत करते हैं:

"जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, और इसलिए याद दिलाया जाता है, वह किसी व्यक्ति को सुनवाई या अपील के निपटान तक न्यायिक हिरासत में रखने का उद्देश्य है। लॉर्ड रसेल, सीजे, ने कहा [आर बनाम रोज, (1898) 18 कॉक्स]:



"मैंने देखा कि इस मामले में कैदी के लिए ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था। यह देश के मजिस्ट्रेट पर बहुत दृढ़ता से प्रभावित नहीं किया जा सकता है कि ज़मानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, बल्कि यह कि ज़मानत की आवश्यकताएं केवल मुकदमे में कैदी की उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए हैं।

15. उच्चतम न्यायालय ने गुरबखश सिंह सिब्बा बनाम उच्चतम न्यायालय में इसी सिद्धांत को दोहराया था। पंजाब राज्य, (1980) 2 एस.सी.सी. 565; हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1980) 1 एस.सी.सी. 81; कादरा पहाड़िया और अन्य बनाम बिहार राज्य (1981) 3 एस.सी.सी. 671 और अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आरएस नायक (1992) 1 एस.सी.सी. 225; मोहम्मद मुस्लिम @ हुसैन बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) 2023 आई.एन.एस.सी. 311; एक दोषी कैदी बनाम राज्य 1993 सीआरआई एलजे 3242; भारत संघ बनाम केए नजीब (2021) 3 एस.सी.सी. 713; इंद्राणी प्रतिम मुखर्जी बनाम सीबीआई, 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 695।

16. सेंथिल बालाजी बनाम प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक 2024 INSC 739 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, आरोपी को 15 महीने से अधिक समय तक जेल में रखा गया था, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि "मुकदमे के समापन में अत्यधिक देरी और ज़मानत देने के लिए उच्च सीमा एक साथ नहीं चल सकती है"।

17. सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2022) 10 एस.सी.सी. 51 में रिपोर्ट किए गए मामले में, लंबे समय तक कैद और अत्यधिक देरी ने अदालत का ध्यान आकर्षित किया, जिसने धारा 37 एन.डी.पी.एस. अधिनियम सहित कई अधिनियमों के संबंध में ज़मानत के प्रति सही दृष्टिकोण पर विचार किया।

18. सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 10455-10456/2025 रामनाथ मिश्रा @ रामनाथ मिश्रा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो में पारित अपने नवीनतम फैसले में दोहराया कि अदालतों द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दों को अत्यंत तेजी से संबोधित किया जाना चाहिए। आरोपी पहले ही तात्कालिक और संबंधित मामलों में साढ़े तीन साल से अधिक समय से जेल में बंद था। उच्च न्यायालय द्वारा अपने आवेदन पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी के कारण आरोपी को ज़मानत पर रिहा करने में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों के लिए त्वरित निर्णय लेने पर जोर देते हुए, लंबे समय तक पूर्व-परीक्षण कारावास को भी ध्यान में रखा गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रस्तुतियों, अभिलेखों पर साक्ष्य, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी आरोपी व्यक्तियों और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सामान्य और सर्वव्यापी आरोप हैं, पहले ही ज़मानत पर बढ़ा दिया गया है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन की अनुमति है।

20. आवेदक- कपिल गुर्जर उर्फ अजय, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

21. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

22. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 28, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)